न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/99

हजारी आत्मज काल्या जाति नाई निवासी कोटसुंवा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. नरेश आत्मज स्व0 हजारी लाल ।
2. कमलेश आत्मज स्व0 हजारी लाल ।
3. गीता बाई पुत्री स्व0 हजारी लाल जाति नाई निवासीगण कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा ।

–––अपीलान्ट

बनाम

1. निर्मल पुत्र रामनारायण (तथाकथित दत्तक पुत्र रामचन्द्र) जाति नाई निवासी कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामनारायण आत्मज काल्या जाति नाई निवासी कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

–––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बाबू लाल योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 04.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 निर्मल कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम कोटासुवां तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 315 की 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया । उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए अपने हिस्से का विधिवत विभाजन किये जाने का निवेदन किया । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 252 की 0.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 369 की 0.53 हैक्टर कुल दो किता की 0.60 हैक्टर कायम हुए हैं । वादी ने अपना वाद स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया ।

3. इसी प्रकार एक अन्य वाद संख्या 34/2010 हजारी आत्मज काल्या (मृतक) जरिये कायममुकामान पेश किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.01.2017 के द्वारा वाद संख्या 34/2010 खारिज करते हुए वादी रेस्पोडेन्ट निर्मल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 43/10 को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामचन्द्र जी के कोई सुलभी संतान नहीं थी । रामचन्द्र जी ने अपने जीवनकाल में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 को उसकी नाबालिगी अवस्था में कभी भी गोद नहीं लिया और वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रामचन्द्र जी के पास निवासी नहीं करता था । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 रामनारायण जी के पुत्र हैं और उसके सभी दस्तावेजों में पिता के रूप में रेस्पोडेन्ट कम 2 रामनारायण का नाम अंकित है । रेस्पोडेन्ट कम 1 रामचन्द्र जी का गोद पुत्र नहीं है और न ही रामचन्द्र जी का वारिस है । वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वह रामचन्द्र का गोद पुत्र हो । उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में रामचन्द्र पुत्र मूल्या व काल्या आत्मज बच्छराज के शामलाती खाते में दर्ज थी रामचन्द्र जी के लाऔलाद फौत होने पर काल्या जी के नाम दर्ज हुई और काल्या जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि काल्या जी के दोनों पुत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम 1/2 – 1/2 सही रूप से दर्ज की गई है । वर्तमान में उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट कम 2 का 1/2 हिस्सा है । उक्त भूमि शामलाती खाते कब्जे काश्त में चली आ रही है । उक्त भूमि में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का कोई हक हिस्सा नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.01.2017 निरस्त किया जावे तथा वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 43/10 खारिज किया जावे तथा वाद संख्या 34/10 डिक्री किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार रामचन्द्र जी के कोई सुलभी संतान न होने के कारण रामचन्द्र ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट कम 1 को उसकी नाबालिगी अवस्था में ही गोद ले लिया था । इस प्रकार उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट कम 1 को रामचन्द्र जी का हिस्सा गोदपुत्र की हैसियत से प्राप्त करने का अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.01.2017 बहाल रखा जावे ।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 निर्मल कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 43/10 एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी एक अन्य वाद संख्या 34/10 पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए वाद संख्या 43/10 स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया जब कि वाद संख्या 34/10 खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय को दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एंव डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.01.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा